18. राज्य स्तरीय कार्यपालिक समिति :-

1. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण - अध्यक्ष
2. आयुक्त, आदिवासी विकास - सदस्य सचिव
3. आयुक्त, लोक शिक्षण - सदस्य
4. आयुक्त् अनुसूचित जाति विकास- सदस्य
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र - सदस्य
6. प्रमुख अभियन्ता, लाक निर्माण विभाग सदस्य
7. प्रशासक/उप सचिव, एम.पी.सरस सदस्य
8. सहायक संचालक/उप संचालक(वित्त) सदस्य

18.(अ) कार्य एवं उत्तरदायित्व -

1. संचालक मंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन ।
2. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना एवं क्रियान्वयन ।
3. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदान/राशि का कार्य योजना अनुसार अनुमोदन एवं क्रियान्वयन/समीक्षा ।
4. अर्न्तविभागीय समन्वय ।
5. शैक्षणिक गतिविधियाँ हेतु संस्थाओं, संसाधनों के सहयोग से नवाचार ।
6. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के कार्यकलापों की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा ।

18 (ब) अध्यक्ष से प्राप्त तिथि एवं समय अनुसार कार्यपालिक समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में अनिवार्यत: आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष कार्यपालिक समिति की बैठक त्रैमास के पूर्व भी आहूत कर सकेंगे ।

19 . <u>जिला स्तरीय समिति</u>:- प्रत्येक जिले के स्तर पर एक समिति होगी जो राज्य स्तरीय सोसाइटी की इकाई होगी। जिसकी निम्नानुसार होगी:-

1. जिला कलेक्टर - अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी., जिला पंचायत - सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
4. कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (लोक निर्माण विभाग) - सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास - सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)-सदस्य
8. जिले के अथवा निकटतम, केन्द्रीय विद्यालय /नवोदय विद्यालय के प्राचार्यों में से कलेक्टर द्वारा नामांकित एक - सदस्य
9. सोसाइटी के अधीन संचालित विद्यालयों के प्राचार्य -सदस्य
10.. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग -सदस्य सचिव

19 (अ) **जिला स्तरीय समिति के कार्य :-**

1. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत संबंधित जिले में आने वाली समस्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट का अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग ।
2. संस्थाओं के बेहतर संचालन एवं विकास के लिए अन्य विभागों से समन्वय ।
3. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत संबंधित जिले में आने वाली समस्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना ।
4. विभिन्न प्रकार के अधोसंरचना विकास के कार्यों की प्रगति की समीक्षा ।
5. शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रयास करना ।
6. स्कूलों की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और जनसहयोग ।
7. शैक्षणिक संस्थाओं/शाला में विभिन्न गतिविधियों का जनसहयोग से संचालन ।
8. राज्य स्तरीय सोसायटी को संस्थाओं के शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में सुझाव प्रदाय करना ।
9. राज्य स्तरीय सोसायटी द्वारा दी गई अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ।

19 (ब) अध्यक्ष से प्राप्त तिथि एवं समय अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आहूत की जाएगी।

20. <u>विद्यालयीन समिति</u>

1. संबंधित विद्यालय के राजस्व अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) - अध्यक्ष
2. अनुभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग -सदस्य
3. अनुभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
2. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास - सदस्य
4. संबंधित संस्था के प्राचार्य - सदस्य-सचिव
5. विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता - सदस्य
6. कक्षा 10 वीं के मेरिट में सर्वाधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के पालक (एक बालक एवं एक बालिका के) - सदस्य

xl